न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/21/2025 रजू दिनांकः 10.02.2025 रजि0 न0 2025/28

अपीलार्थीः—

श्री अतुल कुमार मलिक, निवासी 4/262, अरावली विहार, काला कुंआ, आर.एच.बी., अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 01.04.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 30.04.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई थी, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 24.02.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू0आई0टी/आर.टी.आई./2025/11583 दिनांक 20.02.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ऑनलाईन आवेदन 200620139756659 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर कार्यालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है, अपीलार्थी द्वारा पब्लिक पार्क के मानचित्र (ले–आउट प्लान), स्कीम न0 4 के संबंध में सूचना चाही गई है। उपरोक्तानुसार ले–आउट की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को संलग्न कर भिजवाया जा रही है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंग्नक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 30.04.2024 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा वांछित पब्लिक पार्क के मानचित्र (ले–आउट प्लान), स्कीम न0 4 के संबंध में सूचना/ले–आउट की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को भिजवाया जाना अंकित किया गया है। जबकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को किस पत्रांक एवं दिनांक के द्वारा सूचना भिजवाई गई है का अंकन ही नही किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्तानुसार वांछित सूचना/ले–आउट की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को भिजवाया गई हो साथ ही कार्यालय हाजा को प्रस्तुत जवाब में प्रतिलिपि अपीलार्थी में भी पत्रांक/दिनांक का अंकन नही किया गया है। जिससे अपीलार्थी को वांछित सूचना/जवाब से अवगत कराया जाना प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी के अस्पस्ट जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि अपीलार्थी को वांछित सूचना से उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को जिस पत्र के द्वारा सूचना भिजवाई जा रही है उस पर पत्र क्रमांक एवं दिनांक का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)